

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सोनपुर, सारण कार्यालय आदेश

डी0एल0एड0 सत्र- 2018-20 में नामांकन हेतु चतुर्थ चयनित सूची के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपना नामांकन दिनांक- 29.06.2018 तक संस्थान में 11:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 अपराह्न तक करवा लें। उक्त अवधि में नामांकन नहीं कराने पर आपका दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा, जिसकी जबाबदेही आपकी स्वयं होगी। नामांकन समय निम्नांकित कागजात साथ लावें:-

1. सभी भौक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
2. सभी भौक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।
3. महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र मूल प्रति।
4. प्रवेश-पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।
5. जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए) मूल छायाप्रति।
6. आवासीय प्रमाण-पत्र (सभी वर्ग के लिए) मूल छायाप्रति।
7. नामांकन हेतु प्रति सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी से प्रथम वर्ष 11,500/- (ग्यारह हजार पाँच सौ रूपये मात्र) एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, निःशुल्क हेतु प्रति अभ्यर्थी प्रथम वर्ष 7000/- (सात हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, जो प्राचार्य, डायट सोनपुर, सारण के नाम से बना हो तथा सोनपुर भाखा में भुगतये हो, जमा करना होगा।
(क) दो रंगीन फोटो (ख) निःशुल्कता प्रमाण-पत्र (निःशुल्क के लिए) मूल एवं छाया प्रति।
8. भापथ पत्र (कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा निर्गत हो)।

उपर्युक्त सभी मूल अभिलेख एक कवर फाइल में एवं उसकी दो सेट में छायाप्रति कराकर दो कवर फाइल में रखकर नामांकन के समय जमा करना होगा।

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण
संस्थान
सोनपुर, सारण